तृतीय अध्याय
वित्तीय प्रतिवेदन

यह अध्याय वर्ष 2016–17 के दौरान विभिन्न वित्तिय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

3.1 लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

3.1.1. वित्तीय नियम निर्धारित करता है कि जब सहायता अनुदान किसी विशेष प्रयोजन हेतु प्रदाय किया जाता है, विभाग अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहितों से उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प) प्राप्त करना चाहिए तथा सत्यापन उपरान्त, यह सुनिश्चित करने हेतु कि अनुदान का उपयोग चाही गई प्रयोजन के लिए हुआ है, इसे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2016–17 तक विभिन्न विभागों में प्राप्त सहायता अनुदान के विरूद्ध 31 मार्च 2017 को ₹ 5,016.79 करोड़ के 1,407 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे।

विभिन्न विभागों को प्राप्त सहायता अनुदानों के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1 वर्षवार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल अनुदान		प्राप्त उ.प्र.प.		लंबित उ.प्र.प.	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2013–14 तक	89,596	32,428.17	88,984	29.843.16	612	2,585.01
2014–15	1,060	2,328.93	879	1,498.98	181	829.95
2015–16	626	910.42	194	40.77	432	869.65
2016–17	183	732.78	01	0.60	182	732.18
योग	**91,465**	**36,400.30**	**90,058**	**31,383.51**	**1,407**	**5,016.79**

(स्रोतः वित्त लेखे 2016–17)

मुख्य शीर्षवार एवं वर्षवार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति **परिशिष्ट 3.1** में दर्शायी गयी है।

अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों के मुख्य प्रकरण, मुख्य शीर्षः 2217–नगरीय विकास (₹ 1,713.07 करोड़) एवं 3604–स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समानुदेशन (₹ 3,136.59 करोड़) से संबंधित है। य़द्यपि उ.प.प के अप्राप्त रहने के प्रकरणों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में दर्शाये जाने के पश्चात् भी कोई सुधार नहीं हुआ है।

सहायता अनुदान के विरूद्ध उ.प्र.प की अप्राप्ति विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानों की उपयोगिता समय पर प्रस्तुत करने संबंधी नियम एवं कार्यप्रणाली के अनुपालन में विफलता को दर्शाता है। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र निधियों का दुर्विनियोजन एवं गबन के जोखिम को दर्शाता है।

3.1.2 वित्त आयोग अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र

वित्त आयोग के अनुशंसा से प्राप्त अनुदान का निर्धारित अवधि में उपयोग होना चाहिए एवं शेष राशि शासकीय खातें में जमा होना चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि नौ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने शेष राशि ₹ 14.43 करोड़ का निर्धारित अवधि के समापन तक, न उपयोग किया और न ही समर्पण किया। अनुपयोगी .अनुदान विवरण **परिशिष्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

अनुशंसाः वित्त विभाग को एक समय–सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसके अन्दर प्रशासनिक विभाग, जिन्होंने अनुदान जारी किया है, अनुदान आदेश में तय समयसीमा से परे लंबित सभी उ.प्र.प. प्राप्त करें और यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त अवधि के दौरान प्रशासनिक विभाग कोई अन्य दोषी अनुदानग्राही को जारी न करें। सरकार को वैसे अधिकारी जो समय के अन्दर उ.प्र.प. जमा नहीं करते है, के खिलाफ कार्रवाही करनी चाहिए।

3.2 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

कंपनी अधिनियम 2013 निधारित करता है कि कंपनियों के वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधित वित्तीय वर्ष के समाप्ति के छः माह के अंदर अर्थात सितम्बर माह तक तैयार किया जाना है, ऐसा न होने पर दोषी कंपनी से संबधित प्रत्येक अधिकारी को अधिनियम के अधीन भागीदार बनाती है, जिसके अंर्तगत दण्ड के रूप में एक वर्ष का कारावास या जुर्माना के रूप में ₹ 50,000 से 5 लाख तक या दोनो हो सकता है। 31 दिसम्बर 2017 तक सार्वजनिक क्षेत्र उपकम (सा.क्षे.उ) का लेखे के निस्तारण में प्रगति का विवरण **तालिका 3.2** दर्शाया गया है:–

तालिकाः 3.2 कार्यशील एवं अकार्यशील सा.क्षे.उ के लेखे निस्तारण की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	कार्यशील	अकार्यशील	कुल
1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	20	3	23
2	बकाया लेखे वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	13	0	13
3	बकाया लेखे की संख्या	20	0	20
4(क)	छह वर्षों से अधिक बकाया सा.क्षे.उ. की संख्या	–	0	–
4(ख)	उपरोक्त लोक सा.क्षे.उ. में बकाया लेखे की संख्या	–	0	–
5(क)	दो से पाँच वर्षों के बीच बकाया लेखे वाले सा. क्षे.उ. की संख्या	2	0	2
5(ख)	उपरोक्त सा.क्षे.उ. में बकाया लेखे की संख्या	9	0	9
6(क)	एक वर्ष तक सा.क्षे.उ. की बकाया लेखे की संख्या	11	0	11
6(ख)	उपरोक्त सा.क्षे.उ. में बकाया लेखे की संख्या	11	0	11
7	बकाये का विस्तार (वर्षों में)	1 से 5	0	1 से 5

(स्रोतः– कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचनाओं पर संकलित आंकड़े)

लेखाओं का निस्तारण न होने के कारण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, पाँच वर्षों की अवधि तक कम्पनियों की पूरक लेखापरीक्षा करने में असमर्थ रहा, जैसा कम्पनी अधिनियम द्वारा निर्धारित है।

उपरोक्त कथन संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं विशेष रूप से वित्त विभाग की अक्षमता का द्योतक है कि दोषी कम्पनियाँ ने संबंधित अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया।

राज्य सरकार वर्ष 2016–17 तक आठ कार्यशील सा.क्षे.उ. को ₹ 7,707.17 करोड़ का बजटीय समर्थन[1] {इक्विटीः ₹ 490 करोड़ (एक सा.क्षे.उ.), प्रत्याभूतिः ₹ 3,401.30 करोड़ (तीन सा.क्षे.उ.), अनुदानः ₹ 570.82 करोड़ (तीन सा.क्षे.उ.) तथा अन्य सब्सिडी एवं राजस्व अनुदानः ₹ 3,236.05 करोड़ (छः सा.क्षे.उ.)} प्रदान किया गया।

[1] अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय समर्थन प्रदाय नहीं किया गया है।

अनुशंसाः वित्त विभाग को सभी सा.क्षे.उ के प्रकरणों, जहाँ लेखे बकाया है कि समीक्षा करनी चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि एक तर्कसंगत अवधि के भीतर लेखे अद्यतन हो और उन सभी प्रकरणों में वित्तीय समर्थन को अवरूद्ध करना चाहिए जहाँ लेखे लगातार बकाया है।

3.2.1. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लाभांश का घोषित न होनाः—

राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं किया है जिसके अंतर्गत सा.क्षे.उ. को सरकार द्वारा अंशदानीत प्रदत्त शेयर पूँजी पर एक न्यूनतम प्रतिफल भुगतान करना आवश्यक हो। उनके नवीनतम लेखे अनुसार ₹ 6,146.97 करोड़ की सरकारी इक्विटी वाले ₹ 74.43 करोड़ समग्र लाभ अर्जित किया। वर्ष 2016—17 के दौरान केवल एक सा.क्षे.उ. छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने लाभांश ₹ 0.87 करोड़ प्रस्तावित किया जो कि लाभ ₹ 8.75 करोड़ का 9.94 प्रतिशत है।

अनुशंसाः राज्य सरकार को शेयर पूँजी निवेश पर प्राप्त वापसी के लिए नीति तैयार करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि लाभांश अर्जित करने वाले सा.क्षे. उपक्रमों नीति के अधीन लाभांश घोषित करें ।

3.3 संक्षिप्त आकस्मिक देयक एवं विस्तृत आकस्मिक देयक

छ.ग. कोषालय संहिता के अनुसार जब आकस्मिक प्रभार कोषागार से अग्रिम के रूप में संक्षिप्त आकस्मिक (सं.आ.) द्वारा बिना समर्थक प्रमाणकों के आहरित किया जाता है तो उप प्रमाणकों के साथ नियंत्रक अधिकारी (नि.अ.) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत आकस्मिक (वि.आ.) देयक महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के समक्ष आगामी माह के 25 तारीख तक जमा करना है।

लंबित विस्तृत आकस्मिक देयको का वर्ष वार विवरण **तालिका 3.3** में वर्णित है।

तालिका 3.3ः लंबित विस्तृत आकास्मिक देयकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	असमायोजित सं.आ. देयको का प्रारंभिक राशि		वर्ष के दौरान आहरित सं.आ. देयक		वर्ष के दौरान प्रस्तुत वि.आ. देयक		लंबित वि.आ. देयक	
1	2	3	4	5	6	7	8=2+4—6	9=3+5—7
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2014—15 तक	87	63.13	412	733.31	479	717.06	20	79.37
2015—16	20	79.37	1,418	5,491.72	1,135	4,925.23	303	645.86
2016—17	303	645.86	1,317	3,556.39	1,505	4,177.06	115	25.19

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

31 मार्च 2017 के स्थिति में लंबित विस्तृत आकस्मिक देयको का विभाग वार विवरण **परिशिष्ट 3.3** में दिया गया है।

निर्धारित अवधि में वि.आ. देयक का प्रस्तुत न किया जाना, न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लघंन करता है बल्कि लोकधन के दुर्विनियोजन एवं कदाचार के खतरे की संभावना बनी रहती है।

अवधि 2014—17 के दौरान खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (71.97 प्रतिशत), व्यपार एवं उद्योग विभाग (2.26 प्रतिशत) एवं ऊर्जा विभाग (24.87 प्रतिशत) के संक्षिप्त आकस्मिक देयको द्वारा आहरित किये गये निधियों के अभिलेखों के लेखापरीक्षा जाँच में निम्नलिखित अनियमिततायें प्रकट हुई।

3.3.1 संक्षिप्त आकस्मिक देयको से आहरित योजना व्यय :–

योजना व्यय किसी परियोजना का विशेष प्रयोजन या योजना के लिए बजट में सम्मिलित किया जाता है। योजना व्यय संबंधित मंत्रियों तथा योजना आयोग के बीच चर्चा उपरांत आकलित किया जाता है। योजना व्यय आकस्मिक स्वरूप की नहीं होती है। अतः योजना व्यय करने हेतु सं.आ. देयक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। योजनांतर्गत सं.आ. देयक द्वारा व्यय हुए राशि का विभागवार विवरण **तालिका 3.4** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3.4: सं.आ. देयकों द्वारा आहरित योजना व्यय का विभाग वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	आहरित सं.आ. देयक	
		देयकों की संख्या	राशि
1.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	83	7,039.79
2.	ऊर्जा विभाग	89	2,432.59
3.	व्यपार एवं उद्योग विभाग	2,731	221.16
	योग	2,903	9,693.54

(स्रोतः व्ही.एल.सी. द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी)

अनुशंसाः सं.आ. देयक जो आकास्मिक प्रकृति के नहीं है, के माध्यम से निधि का आहरण प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

3.3.2 सं.आ. देयकों पर त्रुटिपूर्ण लेखन

उप निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अभिलेखों के जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2014–17 के दौरान 140 सं.आ. देयक राशि ₹ 9,961.94 करोड़ छ.शा.को.सं. फार्म–35 पर बिना किसी समर्थित प्रमाणको के आहरित किया गया तथा इन देयको को पारित करने हेतु रायपुर कोषालय को प्रेषण किया गया तथा पारित उपरांत इसे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित किया गया।

जबकि, केवल 81 देयकों राशि ₹ 7,039.79 करोड़ को सं.आ. देयकों के अंतर्गत दर्ज किया गया तथा 59 देयकों राशि ₹ 2,922.15 करोड़ को पूर्ण प्रमाणक देयक में दर्ज किया गया। अर्थात बिना समर्थित प्रमाणक प्राप्त किये अंतः व्यय सेवा शीर्ष को डेबिट किया गया। जिसके फलस्वरूप वर्ष 2014–17 के दौरान राशि ₹ 2,922.15 करोड़ का सं. आ. देयक में न्यूनोक्ति हुई।

कोषालय से प्राप्त मासिक लेखे को परीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि 50 सं.आ. देयक राशि ₹ 2584.28 करोड़ को कोड संख्या 101 के बदले 103 में दर्ज किया गया। आगे, यह भी देखा गया कि नौ देयक राशि ₹ 337.88 करोड़ को कोषालय द्वारा आकस्मिक देयक के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण दर्ज किया गया। इस प्रकार, 59 देयको राशि ₹ 2,922.15 करोड़ पूर्ण प्रमाणक देयक में दर्ज हुआ तथा 2014–17 के दौरान उस सीमातक सं.आ. देयको की न्यूनोक्ति हुई।

विभाग द्वारा आहरित एवं वार्षिक लेखे में दर्ज सं.आ. देयक का विवरण **तालिका 3.5** में प्रदर्शित है।

तालिकाः 3.5 वार्षिक लेखे में सं.आ. देयक को पूर्ण प्रमाणित देयक में प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	विभाग द्वारा सं.आ. देयक से आहरित राशि	व्ही.एल.सी. में अनुसार सं. आ. देयक की राशि	अंतर (3–4)
1	2014–15	1,929.27	200.00	1,729.27
2	2015–16	5,319.68	4,126.84	1,192.84
3	2016–17	2,712.99	2,712.95	0.04
योग		**9,961.94**	**7,039.79**	**2,922.15**

(स्रोतः विभाग से प्राप्त सूचना एवं व्ही.एल.सी. आँकड़ा)

3.3.3 समर्थिक प्रमाणको के बिना विस्तृत आकस्मिक देयक तैयार करना

व्यापार एवं उद्योग विभाग के अभिलेखों के जाँच के दौरान यह पाया गया कि वि.आ. देयक राशि ₹ 71.26[2] करोड़ के साथ प्रमाणक संलग्न नहीं किये गये।

उप निदेशक, व्यापार एवं उद्योग विभाग, रायपुर को इंगित करने पर बताया कि सभी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रो को निर्धारित अवधि में आवश्यक अभिलेखों, वि.आ. देयक के साथ प्रेषण हेतु निर्देश जारी किया जायेगा।

इस प्रकार, समर्थित प्रमाणकों के अभाव में उपरोक्त प्रकरणों मे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों को चाही गई प्रयोजना के लिए उपयोग मे लाया गया है।

3.3.4 विस्तृत आकस्मिक देयको के विलम्ब से समर्पण

छ.ग. कोषालय संहिता निर्धारित करता है कि नियंत्रक अधिकारियों को वि.आ. देयको विधिवत पारित किया हुआ, को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को संबंधित/तत्कालीन माह के 25 तारीख तक प्रेषण करना आवश्यक है।

संक्षिप्त आकस्मिक देयको के संबंध में तीन[3] आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ), व्यापार एवं उद्योग विभाग, एक[4] आहरण एवं संवितरण अधिकारी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं एक[5] आहरण एवं संवितरण अधिकारी, ऊर्जा विभाग के अभिलेखों को जाँच में पाया कि 1,012 वि.आ. देयक राशि ₹ 8,568.87 करोड़ एक माह से 15 माह तक का विलम्ब से महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कार्यालय को प्राप्त हुआ, जिस कारण लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाया कि सं.आ. देयक द्वारा आहरित राशि चाही गई प्रयोजन पर व्यय हुआ है। जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.4** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये जाने पर, उपरोक्त विभागों ने स्वीकार किया तथा बताया कि संबंधित कार्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा विलम्ब से कोषालय पावती प्राप्त होने के कारण विलम्ब से वि.आ. देयक का प्रस्तुति किया गया। साथ ही, व्यापार एवं उद्योग विभाग ने निश्चित किया कि वि.आ. देयकों को विलम्ब से समर्पण को रोकने हेतु सभी संबंधित कार्यालयों को सूचना जारी की जायेगी।

---

2 महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बलौदाबाजार (₹ 57.50 करोड़), मुख्य महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, दुर्ग (₹ 8.36 करोड़) एवं महाप्रबंधक, रायपुर (₹ 5.40 करोड़)।

3 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का कार्यालय, बलौदाबाजार, दुर्ग एवं रायपुर।

4 उप निदेशक का कार्यालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, रायपुर।

5 मुख्य विद्युत निरीक्षक का कार्यालय, रायपुर।

3.3.5 संक्षिप्त/विस्तृत आकस्मिक देयक पंजी का संधारण न होना।

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अभिलेखों/कागजातों के जाँच के दौरान पाया गया कि वि.आ. देयक पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा है। पंजी की अनुपलब्धता के कारण वि.आ./सं.आ. देयकों की संख्या का सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को इंगित किये जाने पर तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि सं.आ./वि.आ. देयक पंजी कोषालय नियमानुसार संधारण किया जायेगा।

अनुशंसाः वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रक अधिकारी निर्धारित अवधि में सं.आ. देयकों का समायोजन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि इस निर्देश को अनुपालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हो।

3.4 हानि तथा गबन के प्रकरणों का प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता निर्धारित करता है कि लोक धन के हानि, गबन एवं दुर्विनियोजन के प्रत्येक प्रकरण महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए।

राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिवेदित 2,022 प्रकरणों में ₹ 139.04 करोड़ वर्ष 2016–17 के अन्त तक लंबित था। ऐसे लंबित प्रकरणों का विभागवार एवं अवधि वार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.5** में दिया गया है। इन प्रकरणों की प्रकृति **परिशिष्ट 3.6** में दिया गया है। लंबित प्रकरणों को प्रकृति तथा अवधि वार का सार **तालिका 3.6** में दर्शाया गया है ।

तालिका 3.6 हानियों एवं गबनों आदि की स्थिति

(₹ लाख में)

लंबित प्रकरणों की अवधि			लंबित प्रकरणों की प्रकृति		
वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरण की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	राशि
0 – 5	286	4,693.95	चोरी	127	57.99
5 – 10	474	6,909.41			
10 – 15	312	1,355.59	सम्पत्ति/ सामग्रीयों की हानि	1,662	13,497.99
15 – 20	206	465.86			
20 – 25	260	305.76			
25 से अधिक	484	173.32	गबन	233	347.91
योग	**2,022**	**13,903.89**	**योग**	**2,022**	**13,903.89**

(स्रोतः राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रेषित प्रकरण)

लंबित होने के कारण जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है **तालिका 3.7** में वर्गीकृत है।

तालिका 3.7: लंबित प्रकरणों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रकरण विलम्ब/लंबित होने के कारण	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	प्रत्याशित विभागीय एवं फौजदारी अनुसंधान	03	3.14
2	विभागीय कार्यवाही प्रारंभ परन्तु अनिर्णित नहीं	603	1,916.39
3	फौजदारी कार्यवाही निर्णित लेकिन प्रमाणिक प्रकरण की राशि की वसूली संबंधी कार्यवाही लंबित	01	0.01
4	वसूली/अपलेखन के आदेश अपेक्षित	1,395	11,906.07
5	न्यायालय में प्रकरण लंबित	20	78.28
	योग	**2,022**	**13,903.89**

(स्रोतः राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रकरण)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाता है कि 2,022 लंबित प्रकरणों में 1,395 प्रकरणों (69 प्रतिशत) जिसका मूल्य ₹ 119.06 करोड़ है में से विभागों/शासन द्वारा मुख्यतः वन विभाग (863 प्रकरण, ₹ 9.17 करोड़) और लोक निर्माण विभाग (404 प्रकरण ₹ 107.20 करोड़) से संबंधित वसूली/अपलेखन आदेश जारी न होने के फलस्वरूप लंबित है । उपरोक्त, यह दर्शाता है कि शासन/विभाग की और से लंबित कार्यवाही के फलस्वरूप प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण या निराकरण नहीं हो पाया ।

साथ ही, यह भी देखा गया कि 603 प्रकरण राशि ₹ 19.16 करोड़ में यद्यपि विभागीय कार्यवाही मुख्यतः पुलिस विभाग (163 प्रकरण, ₹ 0.33 करोड़), पशुपालन (126 प्रकरण, ₹ 0.09 करोड़) और वन विभाग (64 प्रकरण, ₹ 13.91 करोड़) के अंतर्गत 31 मार्च 2017 के स्थिति में निस्तारण किया जाना है।

जबकि,यह देखा गया कि 33 प्रकरणों में विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान राशि ₹ 10.61 लाख की वसूली की गई जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.7** में वर्णित है।

अनुशंसाः राज्य सरकार को विभागीय कार्यवाही में तेजी लानी चाहिए, तथा एसे प्रकरणों के पुनरावृत्ति को रोकने/घटाने हेतु आंतरिक नियंत्रण सुदृढ़ करना चाहिये।

3.5 राजस्व एवं पूँजीगत व्यय का वर्गीकरण

राजस्व व्यय आवर्ती प्रकृति की होती है, एवं यह राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाता है। पूँजीगत व्यय उस व्यय को परिभाषित करता है जो कि ठोस एवं स्थायी परिसम्पति में वृद्धि या स्थायी दायित्वों में कमी को दर्शाता है ।

वर्ष 2016–17 में छत्तीसगढ़ शासन ने त्रुटिपूर्ण बजट तैयार किया एवं सहायक अनुदान राशि (₹ 1,478.88 करोड़), वेतन एवं भत्ता (₹ 84.47 करोड़), कार्य भारित स्थापना व्यय (₹ 41.13 करोड़), व्यवसायिक सेवाओं पर भुगतान (₹ 2.91 करोड़), अनुरक्षण कार्य, कार्यालय व्यय, यात्रा भत्ता तथा औजार एवं संयंत्र (₹ 3.80 करोड़) को राजस्व शीर्ष के बदले पूँजिगत शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 3.8** में दिया गया है।

ज्बकि, वर्ष 2016–17 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी स्वीकृति आदेश की समीक्षा में पाया गया कि राजस्व व्यय राशि ₹ 0.64 करोड़ (48 प्रकरण) को पूँजीगत व्यय में शामिल किया गया तथा पूँजीगत व्यय राशि ₹ 1.37 करोड़ (4 प्रकरण) को राजस्व व्यय में शामिल किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.9** में वर्णित है। साथ ही, व्यय का अवर्गीकरण के कारण राजस्व आधिक्य ₹ 1,611.83 करोड़ का अत्योक्ति तथा ₹ 1.37 करोड़ से न्यूनोक्ति हुआ।

3.6 उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष का प्रारंभ किया जाना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 और छत्तीसगढ़ वित्तीय सहिता निर्धारित करता है कि अनुदानों के मांग हेतु नये उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष का प्रारंभ प्रशासकीय आवश्कताओं तथा महालेखाकार के परामर्श उपरांत हीं वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति दी जायेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वर्ष के दौरान बजट में राजस्व एवं पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत 57 नवीन उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष का आरंभ किये जबकि, महालेखाकार की सहमति नवीन उप शीर्ष आरंभ करने के लिए स्वीकृति नहीं लिया गया। साथ ही, इन नवीन उप शीर्षों में राजस्व अनुभाग के अंतर्गत ₹ 1,523.46 करोड़ तथा पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत ₹ 136.37 करोड़ का व्यय किया गया।

अनुशंसाः वित्त विभाग को लधु शीर्ष के अंतर्गत नवीन उप शीर्ष/ विस्तृत शीर्ष महालेखाकार के परामर्श उपरांत प्रारंभ करना चाहिए।

3.7 लघु शीर्ष– 800 में समायोजन

लघु शीर्ष–800 अन्य प्राप्तियाँ एवं अन्य व्यय से संबंधित है को तब क्रियाशील करना है जब लेखाओं में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध न हो। लघु शीर्ष–800 में लेखाओं में पारदर्शिता नहीं होने के कारण इसे नियमित क्रियाशील नहीं करना चाहिए।

वर्ष 2016–17 के दौरान ₹ 2,290.09 करोड़ जो कि कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 24,607.38 करोड़ का 9.30 प्रतिशत थी) को लघु शीर्ष–800 अन्य प्राप्तियाँ में वर्गीकृत किया गया था। इन प्रकरणों में, लघु शीर्ष 800– अन्य प्राप्तियाँ में दर्ज ₹ 2,204.79 करोड़ थी जो कि क्रमशः मुख्यशीर्ष कुल राजस्व प्राप्तियों की 10 से 130 प्रतिशत थी। विवरण **परिशिष्ट 3.10** में दिया गया है।
इसी प्रकार विभिन्न पूँजीगत एवं राजस्व शीर्षों के लेखाओं के व्यय पक्ष ₹ 1,377.39 करोड़ (कुल व्यय ₹ 33,514.77 करोड़ का 4.11 प्रतिशत) को 43 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 800 अन्य व्यय में दर्ज किया गया। इन प्रकरणों में, लघु शीर्ष–800 अन्य व्यय के अंतर्गत ₹ 1,280.94 करोड़, कुल व्यय का 11 से 100 प्रतिशत को **परिशिष्ट 3.11** मे प्रदर्शित किया गया है।
साथ ही, परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न मुख्य शीर्षों में ₹ 1,031.41 को अवर्गीकृत कर लघु शीर्ष–800 अन्य व्यय में दर्ज किया गया। यद्यपि, एसे व्यय हेतु अलग से लघुशीर्ष प्रावधानित थे। विवरण **तालिका 3.8** में दिया गया है।

तालिका 3.8 लघुशीर्ष–800 में अवर्गीकरण का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष के नाम	राशि	उपयुक्त लघु शीर्षो में समायोजन
2853– अलोह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	284.83	191,192,193, 196,197 और 198
4700– वृहत सिंचाई पर पूँजी परिव्यय	575.84	051
4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय	104.47	051
3275– अन्य दुरसंचार सेवायें	59.09	101 या 102
5275 – अन्य संचार सेवायें पर पूंजी परिव्यय	7.18	101 या 102
योग	1,031.41	

अनुशंसा: वित्तीय विभाग को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ विचार विमर्श करके लघु शीर्ष–800 में प्रदर्शित होने वाले सभी का विस्तृत अवलोकन करे एवं यह सुनिश्चित करे कि ऐसी सभी प्राप्तियाँ तथा व्यय भविष्य में उपर्युक्त लेखा शीर्ष में दर्ज हों।

3.8 स्थानीय लेखापरीक्षा से प्राप्त निष्कर्ष

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय प्रतिवेदन में पाई गई अनियमितताएं नीचे प्रदर्शित है:

3.8.1 शासकीय खाते से बाहर धनराशि रखा जाना

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के अनुसार राज्य समेकित निधि एवं राज्य लोक लेखा से आहरित राशि शासन की विशेष स्वीकृति के बिना किसी भी बैंक खाते में नहीं जमा की जाएगी।

दस आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि अवधि 2011–16 में विभिन्न योजनाओं से संबंधित ₹ 36.00 करोड़ की धनराशि कोषालय से आहरित कर बैंक खातों में रखी गई जैसा कि **परिशिष्ट 3.12** में दर्शाया गया है। एक से पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी राशि का न तो उपयोग किया गया और न ही वापस शासकीय खातें में जमा किया गया । शासन के खाते से बाहर धनराशि को रखाव वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के प्रतिकूल है।

अनुशंसाः शासन को शासकीय खाते से बाहर धनराशि को रखने से रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए तथा शासकीय खाते से बाहर धनराशि रखने वाले विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी चाहिए।

3.8.2 अस्थायी अग्रिमों का असमायोजन न किया जाना

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के अनुसार अग्रिमों को समायोजन तीन माह के अंदर विस्तृत देयक और प्रमाणक प्रस्तुत कर किया जाना चाहिए।

31 मार्च 2017 की स्थिति में, 18 विभागों में अग्रिमों के 656 प्रकरणों, राशि ₹ 7.62 करोड़ समायोजन के लिए लंबित हैं। लंबित अग्रिमों का अवधिवार विश्लेषण **तालिका 3.9** में दर्शाया गया है। अग्रिमों का विभागवार और वर्षवार विवरण **परिशिष्ट 3.13** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.9 : अस्थायी अग्रिमों का अवधिवार विष्लेषण

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	लंबित समयावधि	अवधि	अग्रिमों की संख्या	राशि
1.	10 वर्ष से अधिक	2005–06 तक	121	0.14
2.	5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक	2006–07 से 2010–11	181	0.72
3.	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	2011–22 से 2012–13	54	0.32
4.	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	2013–14 से 2014–15	136	2.16
5.	1 वर्ष तक	2015–16 से 2016–17	166	4.28
योग			**658**	**7.62**

अनुशंसाः अस्थायी अग्रिम के यथासमय समायोजन के लिए शासन को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

3.8.3 रोकड़ बही का अनियमित संधारण

रोकड़ बही का समुचित संधारण वित्तीय प्रबंधन का महत्वपूर्ण अव्यव है और इसका अभाव आंतरिक नियंत्रण तंत्र में गंभीर खामी इंगित करता है। ऐसा स्थिति गबन, धोखाधड़ी, आदि समस्याओं को कई गुना बढ़ा देता है।

वर्ष 2016–17 में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान, अभिलेखों की जांच में राशि ₹ 79.44 करोड़ की निम्नांकित अनियमिततायें पाई गई है। (**परिशिष्ट– 3.14** में विवरण प्रदर्शित है):

- 15 प्रकरणों में ₹ 60.26 करोड़ की राशि रोकड़ बही में दर्ज नहीं की गई किंतु अन्य अनुषंगिक अभिलेखों में दर्ज की गई।
- राशि ₹ 16.70 करोड़ की मिलान बैंक से नही किया गया।
- लेखांकन में ₹ 2.46 करोड़ की कमी।
- ₹ 0.02 करोड़ का त्रुटिपूर्ण अग्रेषण।

आगे, लेखापरीक्षा में अन्य निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.15** में प्रदर्शित है

- रोकड़ बही में सफेदा का प्रयोग।
- लेन–देन दर्ज नहीं किया गया ।
- रोकड़ बही में प्रविष्टियां प्रमाणित नहीं की गई एवं आवश्यक प्रमाण पत्र रोकड़ बही में दर्ज नहीं किये गए।
- रोकड़ का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

- रोकड़ बही में पेंसिल का प्रयोग ।
- प्रमाणक और रोकड़ बही की राशि में अंतर ।
- राशि ₹ 10,000 से अधिक का रोकड़ में भुगतान ।
- विभिन्न योजनाओं के लिए अलग–अलग रोकड़ बही तैयार नहीं की गई ।
- रोकड़ बही व पासबुक की राशि में अंतर ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर संबंधित विभागाध्यक्ष तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि रोकड़ बही में आवश्यक सुधार किया जाएगा तथा रोकड़ बही संधारण हेतु मौजूदा नियम का अनुसरण किया जाएगा।

अनुशंसा: अनियमिततायें जैसे लेनदेनों का अभिलेखन न करना, आंशिक लेखन, लेनदेनों का मिलान न होना आदि निधियों का दुर्विनियोजन तथा गबन के जोखिमों को बढ़ावा देता है। शासन को इस प्रकार के अनियमिततायें को प्रतिबंधित करने के लिए रचनातंत्र को सुदृढ़ करें तथा दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही करें।

3.9 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा श्रम उपकर के संबंध में नियम तैयार नहीं किया गया है। परियोजन सम्मिलित श्रम को क्रियान्वयन संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा संग्रहित श्रम उपकर के लिए शासन द्वारा नवीन शीर्ष का आरंभ नहीं किया गया है। सरकारी विभाग द्वारा संग्रहित श्रम उपकर छ.ग. के समेकित निधि जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत आवश्यक है, में प्रेषण न करते हुए सीधे मुख्य शीर्ष–8443 सिविल जमा – 108 लघु शीर्ष लोक निर्माण जमा में दर्ज किया गया है। जबकि लघु शीर्ष लोक निर्माण जमा का कोई उप–शीर्ष नहीं होने के कारण श्रम कल्याण मण्डल में जमा राशि को पृथक करना संभव नहीं है।

3.9.1 श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से प्रत्यक्ष हुआ कि विभिन्न एजेन्सियों द्वारा एकत्रित उपकर चेकों/धनादेशों के माध्यम से मण्डल को भेजा गया या इसी उद्देश्य के लिए खोले गए मण्डल के बैंक खाते में जिला श्रम कार्यालयों द्वारा जमा किया गया। अवधि 2012–13 से 2016–17 में उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं व्यय की स्थिति का विवरण **तालिका 3.10** प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 3.10 श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति	अर्जित ब्याज	कुल उपलब्ध राशि	व्यय	अंतः शेष	उपलब्ध राशि के उपयोग का प्रतिशत
2012–13	91.38	85.27	6.16	182.81	57.92	124.89	31.68
2013–14	124.89	134.81	9.46	269.17	104.24	164.93	38.73
2014–15	164.93	131.92	13.61	310.47	62.98	247.48	20.28
2015–16	247.48	126.89	20.85	395.23	121.95	273.28	30.85
2016–17	273.28	172.52	19.76	465.56	183.92	281.64	39.50

(स्रोतः छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित)

लोक निर्माण विभाग के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2012–17 के दौरान ₹ 135.54 करोड़ का संग्रहण किया गया, जिसमें से 127.54 करोड़ श्रम कल्याण मण्डल को हस्तांतरण किया गया और शेष राशि ₹ 8.00 करोड़ को हस्तांतरण न कर इसे लोक लेखा जमा के अंतर्गत रखा गया जो कि संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है।

अनुशंसाः छ.ग. शासन को संविधानिक प्रावधानों का पालन करना चाहिए तथा उपकर को समेकित निधि से होकर उपकर के लेखांकन हेतु नियम बनाना तथा श्रम उपकर को श्रम कल्याण मण्डल को अविलम्ब हस्तांतरण करना सुनिश्चित करें।

3.10 प्राप्ति एवं व्यय का मिलान

सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अपनी पुस्तिकाओं में दर्ज शासन की प्राप्ति व व्यय का आंकड़ा महालेखाकार (ले. एवं हक.) के आकड़े से मिलान करना आवश्यक है। विगत वर्ष में 94 बजट नियंत्रण अधिकारियों में से 18 अधिकारियों ने पूर्णतः एवं 18 ने आंशिक रूप से व्यय का मिलान किया जिसकी राशि ₹ 21,147.63 करोड़ (कुल व्यय ₹ 59,120.189 करोड़ का 35.77 प्रतिशत) है। इसी प्रकार, प्राप्ति के संदर्भ में 94 बजट नियंत्रक अधिकारियों में से नौ ने पूर्णतः एवं सात ने आंशिक रूप से प्राप्तियों को मिलान किया जिसकी राशि ₹ 21,249.81 करोड़ (कुल प्राप्ति ₹ 59,340.92 करोड़ का 35.81 प्रतिशत) है।

बजट नियंत्रण अधिकारी, कृषि संचालक से संबंधित आंकड़ों की वस्तुगत लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि संचालक द्वारा ₹ 3.94 करोड़ की प्राप्ति दर्शायी गई जबकि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹ 10.03 करोड़ की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार, संचालक द्वारा ₹ 1,481.28 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया जबकि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों में वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹ 1,481.28 करोड़ दर्ज किये गए। इस प्रकार, प्राप्ति पक्ष में ₹ 6.09 करोड़ एवं व्यय पक्ष में ₹ 0.95 करोड़ का अतंर पाया गया। इंगित किये जाने पर कृषि संचालक, छत्तीसगढ़ शासन से कोई उत्तर लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुशंसाः सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा महालेखाकार (ले. एवं हक.) के साथ अपने लेखाओं का मिलान प्रतिमाह सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग को एक प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए।

3.11 राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का विभाजन

नवंबर 2000 में पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के लगभग दो दशक बाद अनुवर्ती राज्यों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच लोक लेखा शीर्षों के अंतर्गत राशि ₹ 669.75 करोड़, पूँजीगत शीर्षो के अंतर्गत ₹ 5,755.20 करोड़ तथा ऋण और अग्रिम के अंतर्गत ₹ 2,176 करोड़ राशि का संविभाजन किया जाना शेष है।

अनुशंसाः दोनों अनुवर्ती राज्यों के बीच लोक लेखा, पूंजीगत लेखा जमा एवं अग्रिम की शेष राशि के बंटवारे की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए राज्य शासन को मध्य प्रदेश के साथ संपर्क करना चाहिए।

3.12 राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन

2008–09 से राज्य वित्तीय प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। अद्यतन छत्तीसगढ़ विधानसभा की लोक लेखा समिति में राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोई परिचर्चा नहीं की गई है।

3.13 राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

वित्त लेखे में व्यय एवं राजस्व के त्रुटिपूर्ण अंकन/लेखन के फलस्वरूप राजस्व आधिक्य में राशि ₹ 1,509.67 करोड़ अत्योक्ति तथा रोजकोषीय घाटे में राशि ₹ 30.79 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई जो कि **तालिका 3.11** में दिया गया हैः

तालिका 3.11 राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

(₹करोड़ में)

विवरण	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति
सहायता अनुदान राशि को राजस्व के स्थान पर पूँजीगत शीर्ष में दर्ज करना	1,478.88	0.00	0.00	0.00
न.पें.यो. में शासन के अंशदान में कमी	4.64	0.00	0.00	4.64
आरक्षित व जमा पर ब्याज का प्रावधान न होना	26.15	0.00	0.00	26.15
कुल (शुद्ध) प्रभाव	**1,509.67**	**0.00**	**0.00**	**30.79**

प्रतिवेदन के विभिन्न स्थानों में चर्चानुसार, लेखापरीक्षा द्वारा परिगणित, राजस्व तथा व्यय का त्रृटिपूर्ण प्रविष्टि/लेखांकन पर प्रभाव की चर्चा **तालिका 3.12** में की गई है।

तालिका 3.12 राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर लेखापरीक्षा के अनुसार प्रभाव

(₹करोड़ में)

विवरण	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव		बकाया दायित्वों पर प्रभाव
	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	न्यूनोक्ति
सहायता अनुदान राशि को राजस्व के स्थान पर पूंजी के अंतर्गत दर्ज करना	1,478.88	0.00	0.00	0.00	0.00
पूँजीगत व्यय को राजस्व व्यय में दर्ज	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय में दर्ज	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
वेतन भत्तों, निर्माण, कार्य प्रभारित स्थापना, व्यावसायिक सेवाएं, मरम्मत कार्य, कार्यालय व्यय, यात्रा भत्तों और औजारों एवं संयंत्रों पर व्यय	132.31	0.00	0.00	0.00	0.00
न.पें.यों. में शासन के अंशदान में कमी	4.64	0.00	0.00	4.64	53.25
छ.रा.वि.वि.कं. लिमिटेड को प्रदायित प्रत्याभूति को दायित्व में प्रदर्शित	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00
ब्याज वाले आरक्षित निधि एवं जमाओं में क्रेडिट न करना	31.43	0.00	0.00	31.43	225.87
अधोसंरचना विकास निधि में अहस्तांतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	304.24
प्रत्याभूति विमोचन निधि	9.94	0.00	0.00	9.94	112.60
योग	**1,657.84**	**1.37**	**0.00**	**46.01**	**2,650.96**
(षुद्ध) प्रभाव	**₹ 1,656.47 करोड़ का अत्योक्ति**		**₹ 46.01 करोड़ की न्यूनोक्ति**		

उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में, राजस्व आधिक्य के ₹ 1,656.47 करोड़ के अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटा के ₹ 46.01 करोड़ के न्यूनोक्ति के कारण राज्य के राजस्व आधिक्य तथा राजकोषीय घाटा जो कि वित्त लेखा में ₹ 5,520.65 करोड़ तथा ₹ 4,047.27 करोड़ वर्णित है, वास्तव में क्रमश: ₹ 3,864.18 करोड़ तथा ₹ 4,093.28 करोड़ होंगे। राज्य के दायित्व भी ₹ 2,650.96 करोड़ तक न्यूनोक्त किए गए हैं।

(बिजय कुमार मोहन्ती)
रायपुर 24 अगस्त 2018 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)**
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(राजीव महर्षि)**
दिनाँक 28 अगस्त 2018 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**